

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौम
जुगाराज सिंह वर्मा बनाम खीतर वर्मा
 मुकदमा संख्या / वर्ष T.I. : 31 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अखिल चारु 242 R.A. Act.	
	12/05/22	N.S. रोजापत वकील ने प्रा. पत्र द्वारा निवेदित किया कि विवादित भूमि (कुली है) प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर है। वदम वकील पार्थी एकपक्षीय हुती गयी। अपार्थी को आगामी तरीख पेशी तक जरिमे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा बन्द कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि आ.ख.न. 295 ख.बा 0.40 है। भूमि पाँके ग्राम भूलेडा पटवार इल्का भूलेडा तहसील चौम जिला जयपुर के पाशी मुश्नगत भूमि का रिजार्ड खाते-दार है। इसलिए पाशी के रिजार्ड खातेदारी भूमि में विपक्षीय/अपार्थी-गण कृष्ण कशत में कोई इखल अंशजी ना करे, पाँके की अस्था स्थिति बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ति है तो आगामी पेशी दिनांक 08/7/22 को पेश करे। अपार्थीगण को नोटिस जारी है।	
	08/7/22	सहायक कलक्टर चौम (जयपुर)	सविनये द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य विनाशित रख जाने से पन्चावती गत आजानुसार दिनांक 03/8/22 को पेश हो।
	03/8/22	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/9/22 को पेश हो।	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	14/9/22	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/11/22 को पेश हो।</p>
	31/11/22	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/11/23 को पेश हो।</p>
	4/11/23	<p>प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/2/23 को पेश हो।</p>
	3/2/23	<p>क. डाक्री पतापत्नी पेश हुई। सामं 5 बजे तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। डाक्रीगण अस्वाभाविक व वकालतम अनुपस्थित है। अतः डाक्री का डा. पत्र अदम्य दायारी अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पतापत्नी फैसल कुमार दोमर दर्ज नम्बर को रजि. है तथा दाखिल पत्र है।</p>



न्याया
पत्र संख्या
जुगस
भम